पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

वांका खांडा

ग्राम पंचायत – शरम

तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा

जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास – वाका खांडा गाँव में पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस समय लोग टेड़े-मेढ़े (वांके) नालों (खाड़े) में बैलगाड़ी से लघु वन उपज और सागवान आदि की इमारती लकड़ी ले जाते थे। कुछ लोग बताते हैं कि गाँव के आसपास वांके -खाड़े (टेड़े-मेढ़े गड्डे) होने से गाँव का नाम वांका खाड़ा पड़ गया। जो धीरे-धीरे वाका खांडा हो गया। गाँव में कोई भी पुराना मंदिर नहीं है। अब गाँव के लोग चंदा एकत्रित करके शिवजी का एक मंदिर बना रहे हैं।

गांव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में गुजरात सीमा से सटा हुआ वाकाखांडा गांव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत शरम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में 107 परिवार रहते हैं। जिसमें तीन फले - डामोर फला, अहारी फला और ननोमा फला है। आदिवासियों में अहारी, डामोर, ननोमा, खराड़ी, भराड़ा, खोखरा, आमलिया, डामोर, फनात, खाट, गरासिया, वेरात आदि उपजातियाँ हैं। गांव के लोग गेहूं, मक्का, तुअर, उड़द, कपास, चावल, जौ और चने आदि फसल पैदा करते हैं। गाँववासियों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान , पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है , जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो -चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह है शरम (चार किलोमीटर) है। गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख 12 दिसंबर 2017 में हुआ। पेसा कानून की समझ अभी सभी गाँववासियों को नहीं है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीदारी के लिए 15 किलोमीटर दूर गामड़ी जाना पड़ता हैं।

आवागमन की स्थिति - गांव वांका खांडा डूंगरपुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। डूंगरपुर से वांका खांडा जाने के हेतु मेवाड़ा/सड़ा तक बस से जाना होता है आगे के लिए टेम्पो /टेक्सी या निजी वाहन से सात किलोमीटर चलकर वांका खांडा जाना पड़ता है। टेम्पो/टेक्सी घंटों इन्तजार के बाद मिलते हैं और वे भी पूरे उपर-नीचे ओवरलोड भरने का बाद ही चलते हैं1 आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में एक आंगनवाड़ी है और एक प्राथमिक विद्यालय हैं। उस विद्यालय में लगभग 55 बच्चे पढ़ते हैं और एक अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र शरम में है, जो गांव से चार किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। 3 से 4 किलोमीटर पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। पशु अस्पताल भी गांव में है नहीं है। वह 9 किलोमीटर दूर मेवाड़ा में है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 7-8 युवाओं को डूंगरपुर जाना पड़ता है (सन 2018 में)।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैं-

आवागमन की कमी - गांव वांका खांडा डूंगरपुर से दक्षिण-पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। डूंगरपुर से वांका खांडा जाने के लिए मेवाड़ा/सड़ा तक बस से जाना होता है आगे के लिए टेम्पो/टेक्सी या निजी वाहन से सात किलोमीटर चलकर वांका खांडा जाना पड़ता है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी – गांव का पूरा रकबा 600बीघा है। गांववासियों की जमीन पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीनों और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गांव में 5 पोखर – नरसिंह हुरजी, ननोमा फला में बाबु तालाब, ताराचंद डामोर, रमनलाल गरासिया, पुन्जीरम कोपसा पोखर है लेकिन दिसम्बर तक सभी सूख जाते हैं। इसलिए शरम/कदवाली गुजरात (2 किलोमीटर दूर) पानी सिर पर ढो कर लाना पड़ता है। गाँव के निकट 2 एनीकट रमन दीता के नाम से गुजरात राजस्थान सीमा पर (माड़ा संस्था द्वारा बने हुए) हैं। गांव के 12 कुओं में से सिर्फ तीन में पानी रहता है। हैण्डपम्प आठ हैं जिसमें से मात्र 2 चालू हैं। तालाब दो हैं जो बरसात के बाद सूख जाते हैं। फसल सिंचाई के लिए लोगों ने के 48 ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। गाँव में 12 नाले हैं 1 अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गांव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराई का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति – गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह गेहूं, मक्का और चना आदि की खेती करते हैं। ज्यादातर जमीन उबड़ खाबड़, पथरीली और असिंचित है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँववासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं। गाँव के लोगों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। जिनके पास सिंचाई के साधन है वही लोग गेहूं की फसल पैदा कर पाते हैं 1 गाँववासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में आठ लोग सरकारी नौकरी में है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल पोखर/तालाब नाले एनिकट कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में दो तालाब है जिनमें भी पानी नहीं टिकता है। गाँव में एक एनिकट है 1 गाँव में 5 पोखर हैं। पर उनमें से पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में 12 नाले हैं और गाँव के कुल 12 कुओं में से तीन कुँए ऐसे हैं जिनमें पानी रहता है। बाकी 9 कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप आठ हैं जिसमें से दो चालू हैं और छः हैंडपंप खराब पड़े हैं। सिंचाई के लिए गाँव में 48 निजी ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की	गाँव के पांचों तालाबों की मरम्मत कर, पहाड़ों के दर्रे और नालों पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।

	सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी सूख जाता है।	
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि	गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन कुछ उपजाऊ है। गांव में बिला नाम जमीन भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। कुछ जमीन पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गांव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती, पशु पालन करके भी आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी – गांव के कुछ लोग बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। मार्च के बाद गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थि ति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी – खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि के अलावा गांव में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी करते हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति – ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन , आवास श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी -कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	उबड़–खाबड़ जमीन होने के कारण रास्ते बनाना कठिन है l गांव वालों के लोगों द्वारा रास्ते बनाने की मांग करने के बावजूद पंचायत और जनप्रतिनिधियों द्वारा रास्ते बनाने की तरफ ध्यान नहीं देनाl पीडब्ल्यूडी तथा पंचायत विभाग वालों द्वारा निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं करने से निर्मित सड़क जल्द ही टूट जाती है l कई मामलों में पगडंडी चौड़ी करने पर रास्ते में आने वाली जमीन के मालिकों द्वारा विवाद किया जाना भी रास्ते ठीक नहीं होने का एक कारण है l .	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का	**तात्कालिक**	

			में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है। उपलब्धता	निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना। उन्नतशील बीज और खाद की उपलब्धता।		
4	**आवास निर्माण , पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**	
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	जल स्तर नीचे चला गया है। गहराई से निकले पानी में फ्लोराइड की समस्या है। जल संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं देना। जल स्रोत होने के बावजूद गर्मियों में	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने	**तात्कालिक**	

			समस्या आती है।	पर नियंत्रण।		

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन – गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	उबड़-खाबड़ जमीन। गांव वालों के लोगों द्वारा मांग करने के बावजूद पंचायत और जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं देना। पीडब्ल्यूडी तथा पंचायत गांव वालों द्वारा निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं करना। पगडंडी को चौड़ी करने पर जमीन मालिकों द्वारा विवाद करना।	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गांव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल पोखर, एनिकट, नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत नहीं होना। पहाड़ों के दर्रे और नालों में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने तालाबों और एनीकटो की मरम्मत और नए तालाब तथा एनीकट का निर्माण करके। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। गांव के पांचो तालाबों की मरम्मत और नए तालाब का निर्माण न हो ना ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा तालाब में मछली पालन करके आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

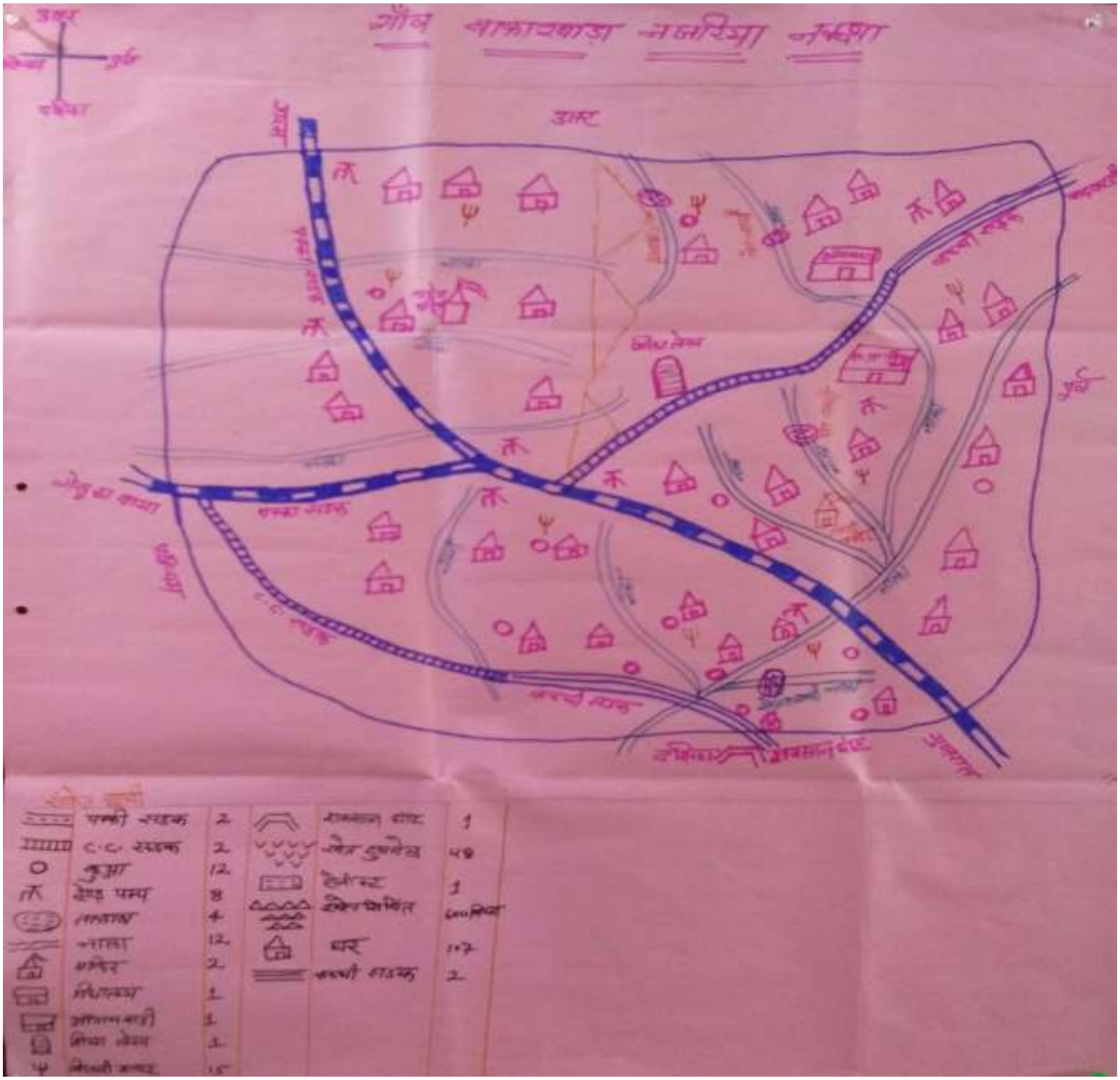

नजरिया नक्शा वाकाखांडा

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

प्रस्ताव सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	भूमि समतलीकरण	20	20
2	खेत तलावड़ी	4	4
3	नहर से धोरे निकालना गाँव शरम की मुख्य नहर से वाकाखांडा तक धोरे निकालना	45	45

4	नए हैण्ड पम्प निर्माण	11	--
5	आवास निर्माण	12	12
6	कुए का मरम्मत कार्य	12	12
7	श्रमिक कार्ड आवेदन	15	15
8	सड़क निर्माण 1. आंगनवाड़ी से रामा थावरा के घर के पीछे होता हुआ कल्याणपुर तक सीसी सड़क निर्माण 2. विद्यालय भवन से पूंजी राम खाटू के घर तक ग्रेवल व सी.सी. सड़क निर्माण 3. मेन सड़क से लालजी थावरा के घर तक ग्रेवल व सी.सी. सड़क निर्माण 4. देवचंद हाजा के घर से आगे वाली सड़क रतन लाल के घर के पास से पूजानवा के घर सड़क मेन सड़क तक 5. मेन सड़क गुजरात से खातरा खातर खात के घर तक सड़क निर्माण	5	गाँव के समस्त परिवार
9	एनिकट नए बनाना 1. मेघा हवजी बेस के नाले पर एनिकट 2. रमण गीता के घर के पास 3. पूंजी राम खाटू के नाले पर	3	--
10	पुराने हैंडपंप की मरम्मत	7	--
11	कच्चे पक्के चेक डैम	25	--
12	आर. ओ. प्लांट (हैंडपंप) राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाकाखांडा में आर. ओ. प्लांट	1	--
13	नई आंगनवाड़ी का निर्माण वाकाखांडा नीचले फले में आंगनवाड़ी का निर्माण	1	--
14	शिलालेख का चबुतरा बनाना	1	--
15	गांव में सामुदायिक भवन निर्माण 1. वासुदेव नाना की मगरी पर 2. पूंजीराम खाटू के वहाँ का मंदिर के पास	2	गाँव के समस्त परिवार
16	विकलांग सहायता योजना	5	5
17	सौर ऊर्जा	21	21
18	आंगनवाड़ी केंद्र बांका खंडा से रामा/थावरा के घर होता हुआ कल्याणपुर तक ग्रेवल सड़क (मय पुलिया ग्रेवल सड़क) निर्माण की गई। सड़क की तोड़फोड़ मशीन द्वारा अध्यापक रामचंद्र नरेंद्र डामोर द्वारा की गई इस सड़क को वापस ठीक करने की गाँव वाकाखांडा की गाँव सभा में सात दिन में वापस ठीक करवाने का प्रस्ताव लिया गया। नहीं ठीक करने पर आगे कानूनी कार्यवाही की जायेगी।	1	गाँव के समस्त परिवार

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया–

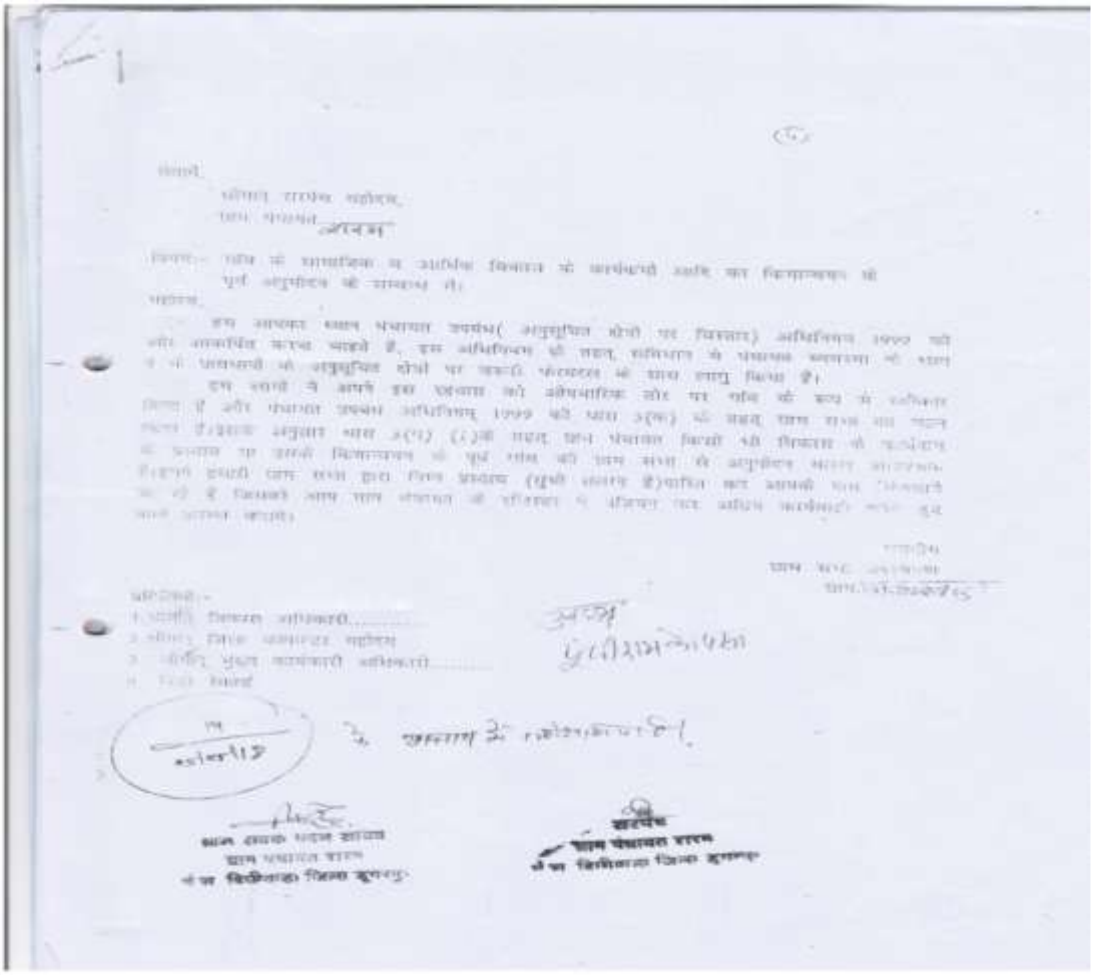

प्रस्ताव कवरिंग लेटर वाका खांडा

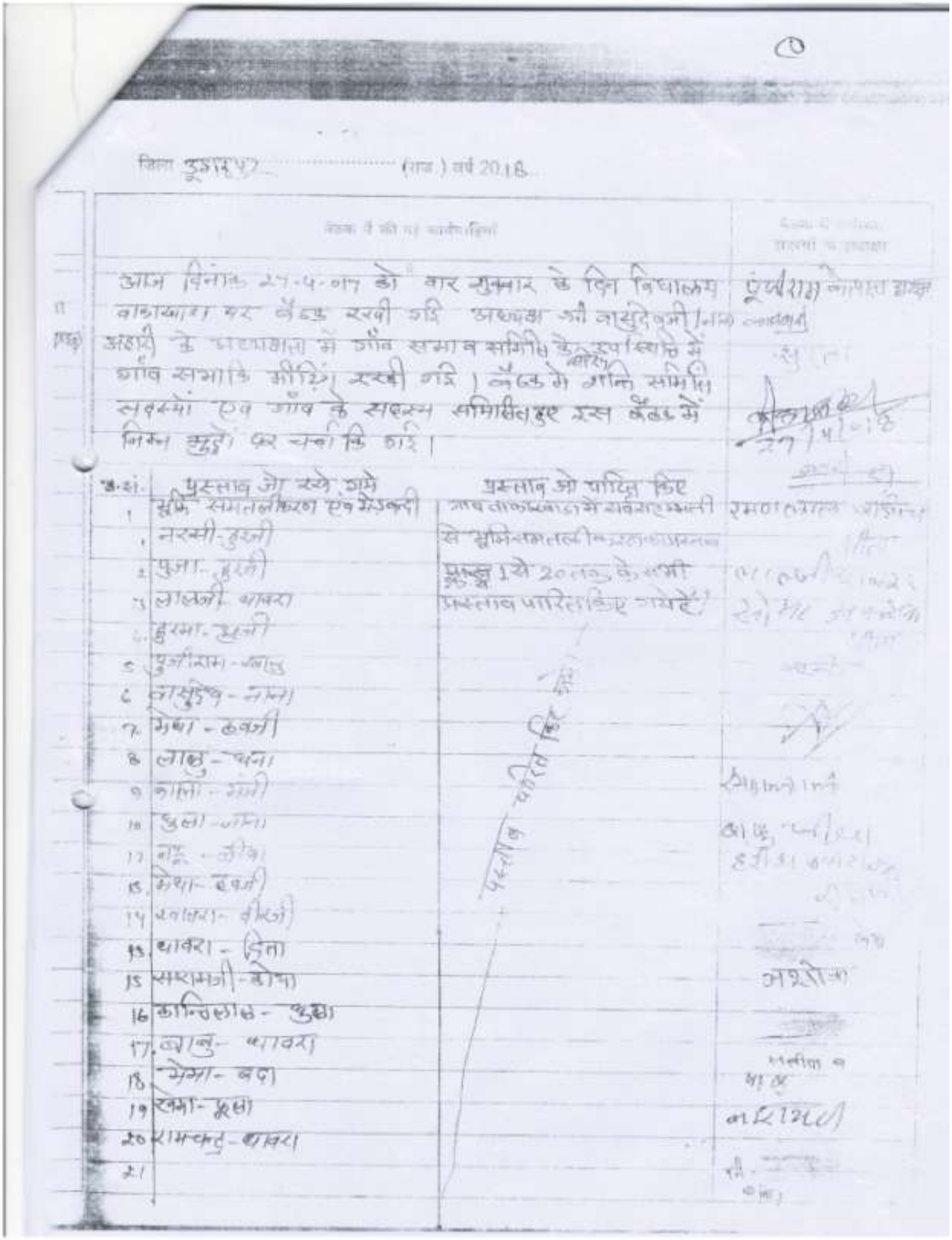

जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 2018

आज दिनांक 27-4-017 को वार शुक्रवार के दिन विद्यालय वाकाखारा पर बैठक रखी गई अध्यक्ष श्री वासुदेवजी ... अहारी के अध्यक्षता में गाँव सभा व समिति के उपस्थिति में गाँव सभा कि मीटिंग रखी गई। बैठक मे समिति सदस्यों एव गाँव के सदस्य सम्मिलित हुए इस बैठक में निम्न मुद्दो पर चर्चा कि गई।

क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित किए
1	भूमि समतलीकरण एव मेड़बन्दी	ग्राम वाकाखारा में सर्वसम्मति से भूमि समतलीकरण ... प्रस्ताव 1 से 20 तक के सभी प्रस्ताव पारित किए गये है।
1	नरसी-हुरजी	
2	पुजा-हुरजी	
3	लालजी-थावरा	
4	हुरमा-हुरजी	
5	पुर्णीराम-नानु	
6	वासुदेव-नाना	
7	मेघा-हवजी	
8	लालु-पना	
9	कालो-...	
10	धुला-नाना	
11	नंदू-...	
12	मेघा-हवजी	
14	रताखरा-...	
13	थावरा-हिता	
15	सरामजी-बोघा	
16	कान्तिलाल-कुका	
17	लालु-थावरा	
18	मेघा-बदा	
19	रमा-कुका	
20	रामचन्द्र-थावरा	
21		

प्रस्ताव पारित किए गये

प्रस्ताव प्रथम पेज

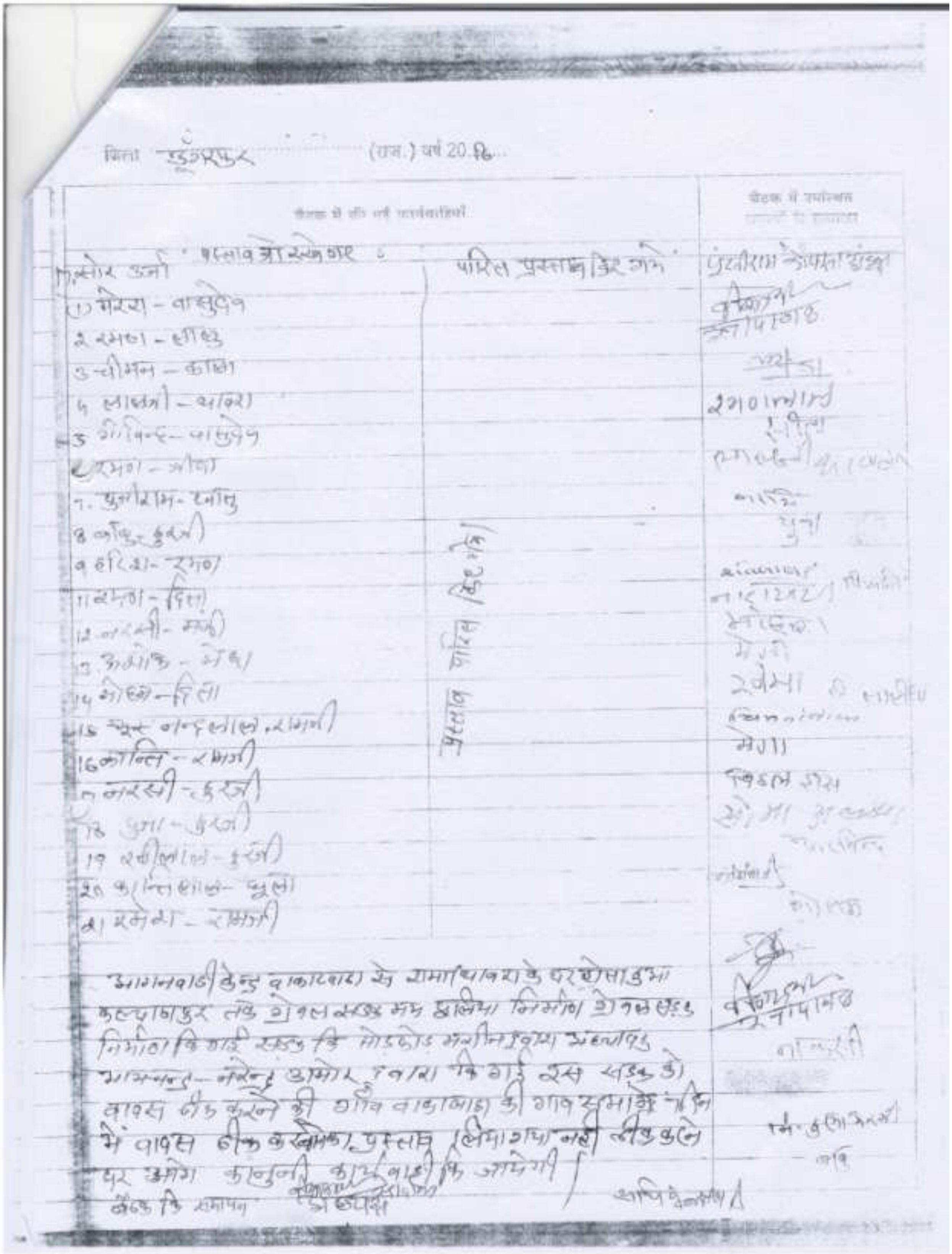
जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 20 16

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ | बैठक में उपस्थित

प्रस्ताव ... पारित प्रस्ताव किए गये

1 मेरा - वासुदेव
2 रमण - हीरु
3 चीमन - कालिया
4 लालजी - थावरा
5 गोविन्द - वासुदेव
6 रमण - जीवा
7 पुनीराम - रमेश
8 कांतु - कुरजी
9 हरिश - रमण
11 लक्ष्मण - हिरा
12 नरसी - मगजी
13 अशोक - भेमा
14 मोहन - हिरा
15 नन्दलाल - रामजी
16 कान्ति - रामजी
17 नरसी - कुरजी
18 [illegible] - कुरजी
19 रमीलाल - कुरजी
20 कान्तिलाल - धूला
21 रमेश - रामजी

प्रस्ताव पारित किए गये

आंगनवाडी केन्द्र वाकावाडा से रामापारा के घर होसा कुआ कल्याणपुर तक ग्रेवल सड़क मय डामरीया निर्माण ग्रेवल सड़क निर्माण कि गई सड़क कि तोडफोड मशीन द्वारा [illegible] द्वारा कि गई इस सड़क को वापस ठीक करने की ग्राम वाकावाडा की ग्राम सभा में वापस ठीक करवाने प्रस्ताव लिया गया नहीं ठीक करने पर आगे कानुनी कार्यवाही कि जायेगी /

बैठक कि समापन

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –

नाम	फोन न.
1. प्रह्लाद s/o पुन्जीराम कोपसा	8758862624
2. पुन्जीराम s/o खातुजी कोपसा	8758862624
3. रमेशचन्द s/o रामजी	9001992022
4. चिमनलाल s/o काला	9586996341
5. कांतिलाल s/o धुलाजी	
6. मेंगा s/o हवजी ननोमा	